सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
आषाढ़ 31, सोमवार शाके 1941–जुलाई 22, 2019 *Asadha 31, Monday, Saka 1941–July 22, 2019*	

भाग 3 (क)

राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत करने से पूर्व प्रकाशित किये गये विधेयक।

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 22, 2019

संख्या एफ.13(18)विशा/विस/2019 :-राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2019 जैसा कि दिनांक 22 जुलाई, 2019 को राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया गया, सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव ।

Bill No. 18 of 2019

THE RAJASTHAN MINISTERS' SALARIES (AMENDMENT) BILL, 2019

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Ministers' Salaries Act, 1956.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventieth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Ministers' Salaries (Amendment) Act, 2019.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 5, Rajasthan Act No. 43 of 1956.- In second proviso to sub-section (1) of section 5 of the Rajasthan Ministers' Salaries Act, 1956 (Act No. 43 of 1956), for the existing expression "such amount not exceeding rupees five thousand per month as may be notified by the Government from time to time.", the expression "rupees ten thousand per day." shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

It is seen that Ex-Ministers do not vacate the official residences allotted to them even after the prescribed period is over. This causes difficulty in allotment of suitable residences to the newly appointed Ministers. As per the existing provision, for non-vacation of the official residence by the Ex-Ministers after the expiry of the prescribed period of two months, the Ministers are liable to pay, as damages for the use and occupation thereof, an amount not exceeding rupees five thousand per month. This amount is very meagre. Therefore, it is proposed that if Ex-Minister does not vacate the official residence after the expiry of the aforesaid prescribed period, he shall be liable to pay damages for the use and occupation of the official residence at the rate of rupees ten thousand per day. Accordingly, amendment is proposed.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

Hence the Bill.

अशोक गहलोत,
Minister Incharge.

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

_____

A

Bill

further to amend the Rajasthan Ministers' Salaries Act, 1956.

_____

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

_____

PRAMIL KUMAR MATHUR,
Secretary.

2019 का विधेयक सं. 18

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2019

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया गया)

राजस्थान मंत्री वेतन अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. 1956 के राजस्थान अधिनियम सं. 43 की धारा 5 का संशोधन.- राजस्थान मंत्री वेतन अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 43) की धारा 5 की उप-धारा (1) के द्वितीय परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "पांच हजार रुपये प्रतिमास से अनधिक ऐसी रकम देने का दायी होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दस हजार रुपये प्रतिदिन देने का दायी होगा" प्रतिस्थापित की जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह देखा गया है कि भूतपूर्व मंत्री उनको आवंटित शासकीय निवास विहित कालावधि के समाप्त हो जाने के पश्चात् भी खाली नहीं करते हैं। इससे नये नियुक्त मंत्रियों को यथोचित निवास आवंटित करने में कठिनाई होती है। विद्यमान उपबंध के अनुसार, भूतपूर्व मंत्रियों द्वारा दो मास की विहित कालावधि की समाप्ति के पश्चात् शासकीय निवास खाली नहीं करने पर, मंत्री उसके उपयोग और अधिभोग के लिए नुकसानी के रूप में पांच हजार रुपये प्रतिमास से अनधिक रकम देने के दायी हैं। यह रकम बहुत कम है। इसलिए, यह प्रस्तावित है कि यदि भूतपूर्व मंत्री पूर्वोक्त विहित कालावधि की समाप्ति के पश्चात् शासकीय निवास खाली नहीं करता है तो वह ऐसे शासकीय निवास के उपयोग और अधिभोग के लिए दस हजार रुपये प्रतिदिन की दर से नुकसानी संदत्त करने का दायी होगा। तदनुसार, संशोधन प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

अशोक गहलोत,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान मंत्री वेतन अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणाल, जयपुर।